**भारत सरकार**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं0 1208**

**दिनांक 13 फरवरी, 2019**

**शेल-भंडार का अन्वेषण**

**1208. श्री संजय सिंहः**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार पेट्रोलियम की परिभाषा में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है ताकि तेल और गैस कंपनियां देश के शेल-भंडारों की खोज कर सकें;

(ख) यदि हां, तो निष्कर्षण के कौन-कौन से तरीकों को अनुमति दी जाएगी तथा सार्वजनिक या निजी, कौन-सी कंपनियां अन्वेषण का दायित्व लेने के लिए पात्र होंगी; और

(ग) हाइड्रोलिक फ्रेक्चरिंग की प्रक्रिया में मीठा-जल बर्बाद न हो यह सुनिश्चित करने के लिए कौन-कौन से सुरक्षा उपाय किए जाएंगे?

**उत्तर**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री**

**(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)**

**(क) से (ग):** सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 3 के खंड (ट) के तहत ‘पेट्रोलियम’ की परिभाषा को संशोधित किया है और दिनांक 24.07.2018 को उसे अधिसूचित कर दिया है ताकि लाइसेंस /अन्‍वेषण/निष्‍कर्षण हेतु पट्टा जारी किए जा सकें/गैर पारंपारिक हाइड्रोकार्बनों का दोहन किया जा सके। सामान्‍यत: शेल गैस अथवा तेल के निष्‍कर्षण के तरीके लंबवत वेधन (हॉरिज़ोन्‍टल ड्रिलिंग) तथा बहु-स्‍तरीय हाइड्रोलिक फ्रक्‍चरिंग हैं। सार्वजनिक अथवा निजी कोई भी अन्‍वेषण और उत्‍पादन (ईएंडपी) कंपनी संविदागत शर्तों के अनुसार शेल तेल/गैस का अन्‍वेषण कर सकती हैं। सभी संविदाकार/प्रचालक तेल और गैस का अन्‍वेषण/दोहन कार्य शुरू करने से पहले संबंधित पर्यावरणीय प्राधिकारी से लिखित मंजूरी/अनुमोदन प्राप्‍त करने के लिए कानूनी रूप से बाध्‍य हैं। उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि तेल और गैस का अन्‍वेषण/दोहन कार्य शुरू करते समय पर्यावरणीय (संरक्षा) अधिनियम 1986/वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980/वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण), अधिनियम, 1974 आदि जैसे विभिन्‍न कानूनों का अनुपालन करें।

**\*\*\*\*\***